भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 522

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

सतत कोयला खनन पद्धतियां

522. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार सतत कोयला खनन पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण के उपाय कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जैव-पुनरुद्धार और वृक्षारोपण की पहलों सहित सतत कोयला खनन पद्धतियों को कार्यान्वित करने में क्या प्रगत्ति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीकों, जैसे कि ब्लास्ट-फ्री माइनिंग और ओवरबर्डन (खनन के दौरान हटाई गई मिट्टी/चट्टान) के लाभकारी उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी कोई पहल की है; और

(ड.) यदि हाँ, तो आगामी वर्ष में इन पहलों के लिए क्या लक्ष्य नियत किए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) और (ख) : कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) पर्यावरणीय प्रबंधन पर यथोचित बल देते हुए संधारणीय कोयला खनन पद्धतियों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। खनन प्रचालन पर्यावरणीय मंजूरी, वन मंजूरी, स्थापना/प्रचालन के लिए सहमति, अनुमोदित खनन योजनाओं और खान बंद करने संबंधी योजनाओं तथा अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अनुसार किए जाते हैं।

प्रमुख संधारणीय कोयला खनन पद्धतियों में विस्फोट मुक्त खनन प्रौद्योगिकियों की संस्थापना, भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देना और स्वच्छ और ऊर्जा कुशल खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाना, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी)/कन्वेयर बेल्ट/रेल के माध्यम से यंत्रीकृत कोयला परिवहन, समवर्ती पुनरूद्धार, खनित क्षेत्रों का जैव-सुधार, ओवरबर्डन डंपों पर वृक्षारोपण, वनीकरण, हरित पट्टी विकास, खान जल का संरक्षण और लाभकारी उपयोग, वैज्ञानिक रूप से खान बंद करना, प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ओवरबर्डन का वैकल्पिक उपयोग, खान जल का लाभप्रद उपयोग आदि शामिल हैं।

(ग) : संधारणीय कोयला खनन पद्धतियों के कार्यान्वयन में निरंतर प्रगति होती आ रही है। जहां तक जैव-पुनरूद्धार और वनीकरण पहल का संबंध है, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने कोयला और लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास 16543 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 35.71 मिलियन पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया है।

(घ) और (ङ) : कोयला मंत्रालय भू-खनन स्थितियों और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अध्यधीन कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा उन्नत और पर्यावरण अनुकूल खनन प्रौद्योगिकियों की संस्थापना को बढ़ावा दे रहा है। इन प्रौद्योगिकियों में मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग प्रणाली, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी/कन्वेयर बेल्ट परियोजनाओं, डिजिटल खान योजना, ड्रोन, जीआईएस-आधारित निगरानी और रियल-टाइम पर्यावरण निगरानी प्रणालियों के साथ-साथ सरफेस माइनर्स, कंटीन्यूअस माइनर्स, हाईवॉल माइनिंग, लॉन्गवॉल माइनिंग और एक्ससेंट्रिक रिपर्स के माध्यम से विस्फोट-मुक्त या कम-विस्फोट वाला खनन करना शामिल हैं।

कोयला कंपनियां विनिर्मित बालू (एम-सैंड), का उत्पादन करने, खान बैक-फिलिंग, भूमिगत भराई, पुनरूद्धार, सड़क निर्माण और अन्य अवसंरचना के अनुप्रयोगों के लिए ओवरबर्डन का उपयोग कर रही हैं, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समर्थन मिल रहा है।

कार्यान्वयन लक्ष्य खान-विशिष्ट हैं और जो भू-वैज्ञानिक स्थितियों, सांविधिक मंजूरी, सुरक्षा संबंधी महत्व तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हैं।
